

न्यायालय—पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. :- 179/2013)

(संस्थित दिनांक :- 08/04/2013)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा

जिला—भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. महेन्द्र सिंह पुत्र मकरन्द सिंह तोमर उम्र 23 वर्ष
02. गिराज गौड़ पुत्र दाताराम गौड़ उम्र 23 वर्ष
निवासीगण :- ग्राम सर्वा, थाना—गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)
03. पवन सोनी पुत्र विशन स्वरूप सोनी उम्र 35 वर्ष
निवासी :- सती बाजार गोहद, थाना—गोहद, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 17/10/2016 को घोषित)

01. अभियुक्तगण महेन्द्र एवं गिराज पर धारा :- 457 एवं 380 भा.द.सं. एवं अभियुक्त पवन पर धारा : 411 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपी महेन्द्र एवं गिराज ने दिनांक : 31/12/2012 एवं 01/01/2013 की मध्य रात्रि, में किसी समय फरियादी जोगेन्द्र के घर स्थित ग्राम सर्वा में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से दीवाल से होकर प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फरियादी जोगेन्द्र सिंह के नैवासिक गृह से फरियादी जोगेन्द्र के आधिपत्य से उसकी सोने की अंगूठी, उसकी माँ के सोने के कान के फूल एवं चाँदी की करधनी तथा नगद 2200/- रुपये उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं अभियुक्त पवन ने दिनांक : 02/01/2013 को सहअभियुक्त महेन्द्र से एक जोड़ी सोने के फूल यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किए और रखे कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है।

02. प्रकरण में कोई सारवान स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 31/12/2012 एवं 01/01/2013 की मध्य रात्रि, में किसी समय फरियादी जोगेन्द्र के घर स्थित ग्राम सर्वा में, आरोपी महेन्द्र सिंह द्वारा फरियादी जोगेन्द्र के घर प्रवेश कर फरियादी जोगेन्द्र के आधिपत्य से सोने की अंगूठी, उसकी माँ के सोने के कान के फूल एवं चाँदी की

करधनी तथा नगद 2200/- रुपये चुराने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी जोगेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक : 02/01/2013 को दोपहर 02:30 बजे थाना गोहद चौराहा पर की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में आरोपी महेन्द्र सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक 02/2013 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। आरोपी महेन्द्र सिंह का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन अंकित किया गया। आरोपी महेन्द्र के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम ज्ञापन में आरोपी गिराज के साथ मिलकर चोरी करने का तथ्य का उल्लेख होने के कारण आरोपी गिराज के विरुद्ध धारा 457 एवं 380 भा.द.सं. एवं आरोपी पवन को चोरी की गई सम्पत्ति खरीदने के कारण आरोपी पवन के विरुद्ध धारा 411 भा.द.सं. का इजाफा किया गया। आरोपी पवन सोनी एवं गिराज गौड़ को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामे बनाये गये। आरोपीगण पवन सोनी एवं गिराज गौड़ के धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन अंकित किये गये। आरोपी महेन्द्र से चाँदी की करधनी एवं एक सोने की अंगूठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी पवन से एक जोड़ी कानों के फूल जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी गिराज गौड़ से 700/- रुपये जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी जोगेन्द्र सिंह एवं साक्षी बादामी बाई के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण महेन्द्र एवं गिराज के विरुद्ध धारा :- 457 एवं 380 भा.द.सं. एवं अभियुक्त पवन के विरुद्ध धारा 411 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपीगण महेन्द्र एवं गिराज ने दिनांक : 31/12/2012 एवं 01/01/2013 की मध्य रात्रि, में किसी समय फरियादी जोगेन्द्र के घर स्थित ग्राम सर्वा में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से दीवाल से होकर प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी जोगेन्द्र

सिंह के नैवासिक गृह से फरियादी जोगेन्द्र के आधिपत्य से उसकी सोने की अंगूठी, उसकी माँ के सोने के कान के फूल एवं चाँदी की करधनी तथा नगद 2200/- रुपये उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की?

03. क्या आरोपी पवन ने दिनांक : 02/01/2013 को सहअभियुक्त महेन्द्र से एक जोड़ी सोने के फूल यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किए और रखे कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी जोगेन्द्र सिंह अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी महेन्द्र सिंह तोमर को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10/03/2015 से करीबन डेढ़ या दो वर्ष पूर्व की होकर रात्रि के 12 या 01 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने घर ग्राम सर्वा में द्वार पर सो रहा था। उसकी माताजी बादामी बाई चिल्लाई कि चोर है, फिर वह दौड़कर घर के अन्दर गया, वहीं से उसने आरोपी महेन्द्र सिंह को उसके मकान की पाटोर (कच्ची दीवाल) पर चढ़ते हुए देखा। साक्षी आगे कहता है कि फिर उसने अपने घर में रखे बक्से में जाकर देखा एक चाँदी की करधोनी, एक सोने की अंगूठी एवं कान के सोने के बाले चोरी हो गये थे। साक्षी आगे कहता है कि फिर वह सुबह गोहद चौराहा थाने पर गया, जहाँ उसने रिपोर्ट लिखाई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था, जिसका गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके नगद रुपये भी चोरी हुये थे, जो करीबन 22 हजार रुपये थे।

09. जोगेन्द्र सिंह अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह कहना है कि उसने घटना की अगली सुबह थाना गोहद चौराहा पर रिपोर्ट प्र.पी.01 लिखाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में जोगेन्द्र सिंह अ.सा.01 का कहना है कि उसे घटना दिनांक याद नहीं है। चोरी माह जनवरी 2013 में रात लगभग 12-01 बजे हुई थी और वह सुबह होते ही रिपोर्ट

लिखाने थाने चला गया था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह घटना के 24 घण्टे बाद दूसरे दिन रिपोर्ट करने के लिए गया था और साक्षी ने स्वतः कहा है कि वह सुबह होते ही रिपोर्ट करने गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में जोगेन्द्र अ.सा.01 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने 24 घण्टे पश्चात् सोच-विचार के रंजिश के कारण आरोपी महेन्द्र के विरुद्ध रिपोर्ट की थी। उल्लेखनीय है कि यदि फरियादी जोगेन्द्र सिंह अ.सा.01 घटना के पश्चात् अगले दिन सुबह रिपोर्ट करने गया होता तो उक्त रिपोर्ट उसके द्वारा दिनांक : 01/01/2013 को की गई होती। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त रिपोर्ट फरियादी जोगेन्द्र अ.सा.01 द्वारा दिनांक : 02/01/2013 को दोपहर 02:30 बजे लेखबद्ध कराई गई थी। इस वावत् यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध सुभाष पाण्डेय अ.सा. 04 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया गया है कि फरियादी जोगेन्द्र द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक : 02/01/2013 को लेखबद्ध कराई गई थी। इस प्रकार फरियादी जोगेन्द्र द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 दिनांक : 01/01/2013 को लेखबद्ध कराई गई थी, अथवा दिनांक : 02/01/2013 को इस वावत् फरियादी जोगेन्द्र अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक सुभाष पाण्डेय अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. फरियादी जोगेन्द्र अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि उसके नगद 22,000/- रुपये चोरी हुये थे और प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में यह लिखा दिया था कि आरोपी महेन्द्र 22,000/- रुपये चोरी करके ले गया है। यदि उक्त बात उसकी रिपोर्ट प्र.पी.01 एवं पुलिस कथन प्र.डी.01 में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में तथा पुलिस कथन प्र.डी.01 में फरियादी जोगेन्द्र के घर से आभूषणों के साथ नगद 2,200/- रुपये चोरी होने का उल्लेख है, ना कि 22,000/- रुपये। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में फरियादी जोगेन्द्र अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

11. जोगेन्द्र अ.सा.01 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह कहना है कि उसने पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.01 में यह लिखाया था कि पाटौर के उपर महेन्द्र ही था, महेन्द्र जैसा व्यक्ति ही था, यह उसने नहीं लिखाया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में यह तथ्य अंकित है कि रात्रि में जब पाटौर के उपर उसने खटपट की आवाज सुनी तो गांव का महेन्द्र सिंह तोमर जैसा दिखा था और वह दीवाल से होकर भाग गया था। इस प्रकार इस तथ्य के संबंध में भी फरियादी जोगेन्द्र अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई

गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है।

12. साक्षी हृदेश अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी महेन्द्र सिंह तोमर एवं पवन सोनी को जानता है। साक्षी आगे कहता है कि वर्ष 2013 में लगभग फरवरी माह में एएसआई सुभाष पाण्डेय के द्वारा थाना गोहद चौराहा से फोन आया था, तब वह गोहद चौराहा थाना पर पहुँचा था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी महेन्द्र सिंह तोमर के द्वारा उसके समक्ष प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह को यह बताया था कि उसके घर से जो चोरी हुई है, एक करधनी, एक अंगूठी, कानों के बाले एवं 22 सौ रुपये जो चोरी किये थे, उसमें से माल को उसने पवन सोनी को बेच दिया है और बरामदगी वावत् कथन दिया था। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मैमोरेंडम प्र.पी.04 उसके समक्ष बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी महेन्द्र से कानों के बाले जब्त कर जब्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था, जिसके ए से ए भाग उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी पवन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 बनाया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी पवन के द्वारा प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह को यह बताया था कि उसे कमर की करधनी, अंगूठी एवं कानों के बाले आरोपी महेन्द्र सिंह तोमर ने बेचे थे, बेचने वावत् कथन दिया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुसिल ने पवन से कमर की करधनी जब्त की थी, इसके अतिरिक्त उसे और कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर हृदेश अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी महेन्द्र सिंह तोमर ने कथन देते समय गिर्राज गौड़ के साथ चोरी करने वावत् कथन दिया था। हृदेश अ.सा.02 का कहना है कि उसे याद नहीं है कि महेन्द्र ने उसके समक्ष करधनी एवं सोने की अंगूठी अपने घर में रखे होने वावत् कथन दिया था, अथवा नहीं। हृदेश अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी महेन्द्र सिंह के घर से चाँदी की करधनी एवं सोनू की अंगूठी पुलिस द्वारा जब्त की गई थी और जब्ती पत्रक प्र.पी.05 बनाया था। हृदेश अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी पवन सोनी ने गोहद बाजार में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम में बयान दिया था एवं इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि आरोपी पवन सोनी की दुकान की तिजोरी से सोन के फूल एक जोड़ी बरामद किये गये थे।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में हृदेश अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी पवन सोनी ने उसके समक्ष कोई बयान नहीं दिया था और आरोपी पवन सोनी से उसके सामने कोई जब्ती नहीं हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपी महेन्द्र के ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.04, आरोपी महेन्द्र से संबंधित जब्ती पत्रक प्र.पी.05, आरोपी पवन सोनी के ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.06, आरोपी पवन सोनी से

संबंधित जब्ती पत्रक प्र.पी.07 एवं आरोपी पवन सोनी के गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.08 के दस्तावेजों पर ए से ए भागों पर जो उसके हस्ताक्षर हैं, वह सभी थाने पर बैठकर कराये गये हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा था कि यह आपकी चीज है और उनके कहने पर उसने थाने पर हस्ताक्षर कर दिये थे। उल्लेखनीय है कि प्र.पी.04 का ज्ञापन लेने का स्थान स्कूल के पीछे, पेड़ के नीचे ग्राम सर्वा होना अंकित है। प्र.पी.05 की जब्ती आरोपी महेन्द्र के घर स्थित ग्राम सर्वा से होना अंकित है। प्र.पी.06 का ज्ञापन लेने का स्थान गोहद बाजार होना अंकित है। प्र.पी.07 की जब्ती आरोपी पवन सोनी की दुकान स्थित सती बाजार गोहद से उसकी तिजोरी से होना दर्शित है और आरोपी पवन की गिरफ्तारी प्र.पी.08 भी सती बाजार गोहद से उसकी दुकान से होना दर्शित है। इस प्रकार प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.08 के दस्तावेजों में उल्लेखित उनके बनाये जाने के स्थान तथा साक्षी हृदेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में इस वावत् दर्शित तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है और जिससे यह प्रकट होता है कि प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.08 के दस्तावेज हृदेश अ.सा.02 के समक्ष नहीं बनाये गये हैं। उक्त तथ्य इस वावत् अभियोजन कथा को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है, क्योंकि साक्षी हृदेश प्रकरण के फरियादी जोगेन्द्र सिंह का पुत्र है और इस प्रकार स्वयं के घर से चोरी के प्रकरण में उसके असत्य भाषण की कोई संभावना प्रकट नहीं होती है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में हृदेश अ.सा.02 का कहना है कि उसे यह याद नहीं है कि प्र.पी.04 का आरोपी महेन्द्र का ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम पुलिस ने किस दिनांक को लिया है और उक्त ज्ञापन लेते समय उसके एवं उसके पिताजी अर्थात् फरियादी जोगेन्द्र अ.सा.01 के अलावा और कोई पुलिसवाला वहाँ मौजूद नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी महेन्द्र का प्र.पी.04 का ज्ञापन थाने पर लिया गया था, जबकि उक्त ज्ञापन प्र.पी.04 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उक्त ज्ञापन स्कूल के पीछे, पेड़ के नीचे ग्राम सर्वा में अन्य पुलिसकर्मी उदय सिंह अ.सा.06 के समक्ष लिया गया था। साक्षी का यह भी कहना है कि उसके समक्ष आरोपी महेन्द्र से कोई जब्ती नहीं हुई थी। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में साक्षी हृदेश अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा ज्ञापन प्र.पी.04 एवं जब्ती पत्रक प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

15. साक्षी चन्द्रभान सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 31/03/2013 को गोहद चौराहा थाने पर सैनिक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरोपी गिर्राज गौड़ ने प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र को बताया था कि उसने महेन्द्र सिंह तोमर के साथ मिलकर दिनांक : 31/12/2012 की रात में सर्वा ग्राम में जोगेन्द्र सिंह जादौन के घर से रुपये एवं सोने-चाँदी की चोरी की थी, इस संबंध में बताया था। तब दीवान जी ने मैमोरेंडम की कार्यवाही उसके सामने की थी, उक्त मैमोरेंडम प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तब वह दीवान जी के साथ आरोपी के घर गया और उसकी अलमारी से पेपर के नीचे से एक पॉच

का नोट तथा दो सौ-सौ के नोट जब्त किये थे। जब दीवान जी ने आरोपी गिराज गौड़ से रुपये जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर चन्द्रभान अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र. पी.09 के मैमोरेडम में आरोपी गिराज गौड़ ने उसके सामने दीवान जी को यह बताया था कि “जोगेन्द्र सिंह जादौन के घर में दीवाल से होकर घुसकर उसकी पाटौर में से कानों के फूल, चाँदी की करधोनी, एक सोने की मर्दानी अंगूठी एवं 22 सौ रुपये नगद चोरी किये थे। चन्द्रभान सिंह अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने यह भी बताया था कि सोने-चाँदी का पूरा सामान महेन्द्र के पास था और 2200 रुपये नगद उसके हिस्से में आये थे, जिसमें से 1500 रुपये खर्च हो गये, जिसमें से एक पाँच का नोट तथा दो 100-100 के नोट बचे हैं, जो उसने मालनपुर में अपने किराये के मकान में छिपा दिये हैं, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में चन्द्रभान अ.सा.03 का कहना है कि आरोपी गिराज का ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम थाना गोहद चौराहा पर लिया गया था, किसी अन्य स्थान पर नहीं। जबकि आरोपी गिराज के ज्ञापन धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.09 में उक्त ज्ञापन लेखबद्ध करने का स्थान ग्वालियर रोड़ गोहद चौराहा अंकित है, ना कि थाना गोहद चौराहा। इस प्रकार उक्त ज्ञापन प्र.पी.09 के लेखबद्ध किये जाने के स्थान के संबंध में चन्द्रभान अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों तथा ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.09 के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में चन्द्रभान अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी गिराज को दिनांक : 31/03/2013 को लेकर लगभग तीन या साढ़े तीन बजे मालनपुर पहुँचे थे और आरोपी के जेब में कमरे की चाबी थी, जिससे कमरा खुलवाया था। जब दिनांक : 31/03/2013 को ही पुलिसकर्मी आरोपी गिराज के घर स्थित मालनपुर पहुँच गये थे, तब जब्ती की कार्यवाही मुताबिक जब्ती पत्रक प्र. पी.10 दिनांक : 03/04/2013 को सुबह 10:30 बजे क्यों की गई, यह जब्तीकर्ता वीरेन्द्र अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी स्पष्ट नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि जब आरोपी गिराज का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन दिनांक : 31/03/2013 को लेखबद्ध कर लिया गया था, जिसमें कथित रूप से उसके द्वारा यह बताया गया था कि उसके द्वारा उक्त रुपये मालनपुर में किराये के कमरे में छिपा दिये गये हैं, चलो चलकर बरामद करा देता हूँ, तब उसी दिनांक : 31/03/2013 को या 01/04/2013 को उससे उक्त नोटों की जब्ती की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। उक्त जब्ती की कार्यवाही जब्ती पत्रक प्र.पी.10 के अनुसार दिनांक : 03/04/2013 को तीन दिन पश्चात् क्यों की गई इसका कोई कारण जब्तीकर्ता वीरेन्द्र अ.सा.05 के अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया गया है।

17. साक्षी प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 02/01/2013 को थाना गोहद चौराहा पर प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 02/2013 अन्तर्गत धारा 457 एवं 380 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा उक्त दिनांक को फरियादी जोगेन्द्र सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को बादामी बाई एवं जोगेन्द्र सिंह के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। उसके द्वारा दिनांक : 05/01/2013 को आरोपी महेन्द्र सिंह का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन समक्ष साक्षीगण लिया गया था, जो उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था, जो प्र.पी.04 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को आरोपी महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर प्र.पी.03 का गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर प्र.पी.03 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को आरोपी पवन सोनी से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन समक्ष साक्षीगण लिया गया था, जो उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था, जो प्र.पी.06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी पवन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा उक्त दिनांक को महेन्द्र सिंह की निशानदेही से साक्षीगण के समक्ष चॉदी की करधोनी, पान के डियाजन की एवं सोने की मर्दानी एक लाल रंग का नग लगा था, जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी पवन की दुकान की तिजौरी से एक कानों के सोने के फूल एक जोड़ी समक्ष साक्षीगण के जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 31/03/2013 को आरोपी गिर्राज को समक्ष साक्षीगण धारा 27 का ज्ञापन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया था, जो प्र.पी.09 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी गिर्राज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.11 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 03/04/2013 को आरोपी गिर्राज की आधिपत्य के कमरे की अलमारी के नीचे से एक 500/- रुपये का नोट एवं दो 100-100 के नोट आरोपी द्वारा निकालकर दिये जाने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

19. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में प्रकरण के विवेचक वीरेन्द्र अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रकरण में चोरी गये माल की उसके द्वारा कोई शिनाख्ती नहीं करवाई गई। पत्रक पत्रावली के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियोग पत्र के साथ कोई शिनाख्ती पंचनामा संलग्न नहीं किया गया है। चोरी गई वस्तुओं की शिनाख्ती फरियादी से ना कराये जाने के कारण यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि कथित रूप से आरोपीगण से जब्तशुदा आभूषण एवं नगदी वहीं आभूषण एवं नगदी है, जो कि फरियादी के आधिपत्य से उसके घर से चोरी गये थे। क्योंकि सामान्य रूप से समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास में रोजमर्रा के इस्तेमाल की नगदी होती है और प्रत्येक परिवार के कुछ आभूषण होते हैं। आरोपीगण में से आरोपी पवन सोनी तो आभूषण विक्रेता है और उसके पास स्वयं के आभूषण होना भी सहज संभव तथ्य है। यदि प्रकरण में विवेचक द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही करवाई जाती तो यह सुनिश्चित किया जाना संभव था कि कथित रूप से आरोपीगण से जब्तशुदा आभूषण फरियादी के ही है। इस प्रकार शिनाख्ती कार्यवाही ना कराये जाने से अभियोग कथा गंभीर रूप से संदेहास्पद हो जाती है, क्योंकि उक्त शिनाख्ती कार्यवाही ना कराये जाने के कारण या परिस्थितियाँ विवेचक वीरेन्द्र सिंह अ.सा.05 द्वारा उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में स्पष्ट नहीं की है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में प्रकरण के विवेचक वीरेन्द्र अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.07 एवं प्र.पी.10 पर कोई सील नमूना अंकित नहीं है। सील नमूना अंकित क्यों नहीं किया गया इस वावत् वीरेन्द्र अ.सा.05 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य मौन है।

20. अभियोजन साक्षी आरक्षक उदय सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/01/2013 को थाना गोहद चौराहा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके एवं साक्षी हृदेश के सामने आरोपी पवन सोनी का धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया गया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने दिनांक : 02/01/2013 को ग्राम सर्वा के महेन्द्र सिंह तोमर, जिसको वह पहले से जानता था, उसकी दुकान पर चोरी किये हुये कानों के टॉप्स जो 4,000/- रुपये में बेचे थे, जिसके उसने एक हजार रुपये दिये थे, तीन हजार रुपये नहीं दिये थे। उक्त टॉप्स उसकी तिजोरी में रखे हैं, चलो चलकर बरामद करा दूता हूँ। उक्त साक्ष्य अधिनियम का ज्ञापन प्र.पी.06 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके एवं हृदेश के सामने वीरेन्द्र सिंह प्रधान आरक्षक ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त दिनांक को आरोपी महेन्द्र सिंह से उसके एवं हृदेश के सामने प्रधान आरक्षक वीरेन्द्र सिंह ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अंकित किया था, जिसमें आरोपी ने स्वेच्छया बताया था कि दिनांक : 31/12/2012 एवं 01/01/2013 की दरम्यानि रात्रि में जोगेन्द्र सिंह जादौन के घर में दीवाल से होकर घुसकर उसकी पाटौर में से उसने चोरी की थी, जिसमें सोने के फूल एक जोड़ी, चाँदी की करधोनी, एक मर्दाना अंगूठी एवं

2200/- रुपये नगद बक्से में से चोरी किये थे। उक्त चोरी किये हुये 2200/- रुपये गिर्राज के पास है तथा अंगूठी एवं करधोनी उसने अपने घर के कमरे में रखे टिफिन में छिपाकर रख दिये है तथा टॉम्प पवन सोनी की दुकान पर 4,000/- रुपये में बेच दिये है, जिसके 3,000/- रुपये उधार है, उक्त मैमोरेण्डम प्र.पी.04 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

21. साक्षी आगे कहता है कि आरोपी महेन्द्र से उसके एवं हृदेश के सामने एक चॉदी की करधोनी, सोने की मर्दानी जिस पर लाल रंग का नग लगा था, आरोपी के घर के अन्दर से जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी गिर्राज के कमरे में अलमारी के नीचे अखबार के नीचे से एक 500/- रुपये का नोट एवं दो 100-100 के नोट आरोपी द्वारा निकालकर दिये जाने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.10 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आरोपी पवन सोनी द्वारा उसकी दुकान द्वारा उसकी दुकान की तिजौरी से एक जोड़ी सोने के कान के टॉप्स निकालकर देने पर प्रधान आरक्षक द्वारा उसके सामने जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

22. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में उदय सिंह अ.सा.06 का कहना है कि वह दिनांक : 02/01/2013 के घर ग्राम सर्वा गया था और प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में उसका कहना है कि वह हस्तगत प्रकरण में विवेचक वीरेन्द्र सिंह के साथ ग्राम सर्वा एक ही बार गया था। उल्लेखनीय है कि आरोपी महेन्द्र से संबंधित जब्ती पत्रक दिनांक : 05/01/2013 को आरोपी के घर स्थित ग्राम सर्वा में लेखबद्ध किया जाना दर्शित किया गया है और उक्त जब्ती पत्रक प्र.पी.05 के सी से सी भाग पर साक्षी उदय सिंह उसके हस्ताक्षर होना दर्शित करता है। जब वह दिनांक : 02/01/2013 के अलावा किसी दिनांक को ग्राम सर्वा नहीं गया, तब दिनांक : 05/01/2013 को ग्राम सर्वा में लेखबद्ध किये गये जब्ती पत्रक पर उसके हस्ताक्षर किस प्रकार है, यह बात उदय अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं भी स्पष्ट नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में उदय अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा जब्ती पत्रक प्र.पी.05 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी महेन्द्र एवं गिर्राज ने दिनांक : 31/12/2012 एवं 01/01/2013 की मध्य रात्रि, में किसी समय फरियादी जोगेन्द्र के घर स्थित ग्राम सर्वा में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व चोरी करने के आशय से दीवाल से होकर प्रवेश कर रात्रौ गृह भेदन किया एवं फरियादी जोगेन्द्र सिंह के नैवासिक गृह से फरियादी जोगेन्द्र के आधिपत्य से उसकी सोने की अंगूठी, उसकी माँ के सोने के कान के फूल एवं चॉदी की करधनी तथा नगद

2200/- रुपये उसकी सहमति के बिना उसके आधिपत्य से बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की एवं अभियुक्त पवन ने दिनांक : 02/01/2013 को सहअभियुक्त महेन्द्र से एक जोड़ी सोने के फूल यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए प्राप्त किए और रखे कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है।

अंतिम निष्कर्ष

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी महेन्द्र एवं गिर्राज पर धारा :- 457 एवं 380 भा.द.सं. एवं आरोपी पवन सोनी पर धारा 411 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण महेन्द्र एवं गिर्राज पर धारा :- 457 एवं 380 भा.द.सं. एवं पवन को धारा 411 भा.द.सं. से दोषमुक्त किया जाता है।

25. आरोपीगण के प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये गये। जमानतदार को स्वतंत्र किया गया।

26. प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी जोगेन्द्र सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 700/- रुपये उसके वैध स्वामी जोगेन्द्र सिंह को प्रदान कर व्ययनित किये जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद